भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1136

05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारत में कैंसर के मामलों में वृद्धि

†1136. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार को ग्लोबल कैंसर ऑब्ज़र्वेटरी द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के बारे में जानकारी है, जिससे यह पता चलता है कि विगत दस वर्षों में दुनिया भर में कैंसर के मामलों में भारत तीसरे स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो कैंसर के मामलों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर, जिसका अनुपात देश में कैंसर के मामलों में सर्वाधिक इक्यावन प्रतिशत है, सहित कैंसर से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) सर्वाइकल कैंसर के टीके की शुरूआत और कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा कैंसर के व्यापक मानचित्रण और आयुष्मान भारत तथा राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) जैसी योजनाओं सहित देश भर में कैंसर की शीघ्र पहचान, जांच और किफायती उपचार सुविधाओं के प्रावधान को मजबूत करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): ग्लोबल कैंसर ऑब्ज़र्वेटरी, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या (14,13,316, दर 98.5 प्रति 100000) चीन (48,24,703, दर 201.6 प्रति 100000) और संयुक्त राज्य अमेरिका (23,80,189, दर 367 प्रति 100000) के बाद तीसरे स्थान पर है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)-राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम (एनसीआरपी) के अनुसार, पिछले दस वर्षों में देश में सभी प्रकार के कैंसर के मामलों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ग): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उपलब्ध संसाधनों के अधीन तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) ने पूरे भारत में सेवा वितरण को प्रभावी रूप से सुदृढ़ किया है। 36 राज्य एनसीडी प्रकोष्ठों, 753 जिला एनसीडी प्रकोष्ठों, 770 जिला एनसीडी क्लीनिकों, 233 कार्डियक केयर यूनिट, 364 जिला डे केयर सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6,410 एनसीडी क्लीनिकों सहित एक मजबूत बुनियादी ढाँचा स्थापित किया गया है।

एनएचएम के अंतर्गत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के एक भाग के रूप में, सामान्य गैर-संचारी रोगों, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर (मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा) की रोकथाम, नियंत्रण और जाँच हेतु जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत इन सामान्य गैर-संचारी रोगों की जाँच सेवा प्रदायगी का एक अभिन्न अंग है।

'विशिष्ट परिचर्या कैंसर सुविधाकेंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना' के अंतर्गत देश भर में 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) स्थापित किए गए हैं। उन्नत निदान और उपचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर स्थापित किया गया है। सभी 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में भी कैंसर उपचार सुविधाओं को मंजूरी दी गई है।

जिला अस्पताल स्तर पर कैंसर परिचर्या की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 297 जिला डे केयर कैंसर केंद्र (डीसीसीसी) को अनुमोदन दिया गया है।

युवा मामलें एवं खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया अभियान चलाया जाता है, और योग संबंधी विभिन्न कार्यकलाप आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एनपी-एनसीडी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार एनसीडी के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) कार्यकलापों के लिए एनएचएम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के टीके के लिए चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

(ड.): भारत सरकार द्वारा एनपी-एनसीडी के अंतर्गत वर्ष 2018 में एनसीडी स्क्रीनिंग और प्रबंधन तथा सतत परिचर्या सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल शुरू किया गया था। यह पोर्टल 30+ आयु वर्ग वाली

जनसंख्या पाँच सामान्य एनसीडी (उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख का कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) के मामलों की गणना, जोखिम मूल्यांकन और जांच की सुविधा प्रदान करता है।.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की व्यापक योजना के एक घटक, स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (एचएमसीपीएफ) के अंतर्गत क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आरसीसी), विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी), राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और कैंसर उपचार सुविधाकेंद्रों वाले अन्य सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में कैंसर से पीड़ित गरीब रोगियों के उपचार के लिए 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के अंतर्गत कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों का उपचार उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना' (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत एनसीडी के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सभी को वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (एएमआरआईटी) कैंसर सहित एनसीडी सहित विभिन्न रोगों के उपचार के लिए सस्ती दवाएं प्रदान करता है।

अनुलग्नक

भारत में कैंसर के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या (सभी स्थान – दोनों लिंग)

के अनुसार: 2015 से 2024

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
जम्मू और कश्मीर	14864	15652	16480	17351	12396	12726	13060	13395	13744	14112
लद्दाख	-	-	-	-	279	286	294	302	309	318
हिमाचल प्रदेश	7722	8029	8348	8679	8589	8799	8978	9164	9373	9566
पंजाब	31214	32474	33781	35137	37744	38636	39521	40435	41337	42288
चंडीगढ़	1217	1274	1335	1398	994	1024	1053	1088	1120	1152
उत्तराखंड	11796	12381	12995	13640	11216	11482	11779	12065	12348	12642
हरियाणा	29240	30611	32049	33558	28453	29219	30015	30851	31679	32513
दिल्ली	19168	20015	20899	21821	24436	25178	25969	26735	27561	28387
राजस्थान	79160	82836	86675	90686	69156	70987	72825	74725	76655	78604
उत्तर प्रदेश	233659	245231	257353	270053	196652	201319	206088	210958	215931	221000
बिहार	123949	130628	137656	145051	101014	103711	106435	109274	112180	115123
सिक्किम	473	479	485	490	443	445	465	496	525	561
अरुणाचल प्रदेश	1252	1272	1292	1313	1015	1035	1064	1087	1125	1143
नागालैंड	1294	1300	1309	1318	1719	1768	1805	1854	1890	1935
मणिपुर	2916	2998	3082	3168	1844	1899	2022	2097	2169	2250
मिजोरम	1618	1652	1687	1723	1783	1837	1919	1985	2063	2114
त्रिपुरा	2169	2199	2229	2260	2507	2574	2623	2715	2790	2871
मेघालय	3246	3311	3376	3442	2808	2879	2943	3025	3099	3168
असम	31474	31825	32177	32530	36948	37880	38834	39787	40721	41713
पश्चिम बंगाल	103532	107906	112466	117220	105814	108394	110972	113581	116230	118910
झारखंड	38947	40959	43071	45289	33045	33961	34910	35860	36840	37824
ओडिशा	47666	49674	51763	53936	49604	50692	51829	52960	54136	55335
छत्तीसगढ़	30239	31817	33477	35223	27113	27828	28529	29253	30014	30763
मध्य प्रदेश	85078	89315	93754	98403	75911	77888	79871	81901	84029	86124
गुजरात	70171	73551	77097	80820	67841	69660	71507	73382	75290	77205
दमन और दीव	385	440	504	579	118	124	135	150	161	173
दादरा और नगर हवेली	457	497	542	591	186	206	219	238	252	268
महाराष्ट्र	127390	132726	138271	144032	113374	116121	118906	121717	124584	127512
तेलंगाना	40177	41939	43784	45713	46464	47620	48775	49983	51145	52334
आंध्र प्रदेश	55776	58072	60475	62978	68883	70424	71970	73536	75086	76708

कर्नाटक	70302	73511	76867	80381	83824	85968	88126	90349	92560	94832
गोवा	1655	1726	1801	1881	1591	1618	1652	1700	1735	1783
लक्षद्वीप	82	89	96	104	27	27	28	28	31	32
केरल	39672	42004	44566	47382	56148	57155	58139	59143	60162	61175
तमिलनाडु	78512	80999	83554	86180	86596	88866	91184	93536	95944	98386
पुदुचेरी	1510	1596	1687	1783	1523	1577	1623	1679	1753	1823
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	415	429	443	458	357	366	380	393	401	408
